

जमा नीति

अ. उद्देशिका

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ऋण देने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना है। वास्तव में, जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख हितधारक हैं। जमाकर्ता और उनके हित भारत में बैंकिंग के लिए विनियामक ढांचे का प्रमुख क्षेत्र बनाते हैं और इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाराशियों पर ब्याज दरों और जमाराशियों पर ब्याज दरों तथा जमा खातों के संचालन के संबंध में अन्य पहलुओं पर समय-समय पर निदेश/सलाह जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

यह नीति दस्तावेज बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न जमा उत्पादों के निर्माण के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों और खाते के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है और इसका उद्देश्य जनता से जमाराशियां स्वीकार करने, विभिन्न जमा खातों के संचालन और परिचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज के भुगतान, जमा खातों को बंद करने, मृत जमाकर्ताओं की जमाराशियों के निपटान की विधि आदि के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ग्राहकों के लाभ के लिए सूचना का प्रसार करना है। बैंक ऐसे उत्पाद प्रदान करता है जो आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं, वित्तीय परिस्थितियों का आकलन, ग्राहकों की आयु और लिंग, आवासीय स्थिति, मुद्रा, और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक ताकि समाज के एक बड़े वर्ग को समायोजित करने के लिए समावेशी बने रहें। इस दस्तावेज का उद्देश्य ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना और ग्राहकों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक को वे सेवाएं मिलेंगी जो वे बिना मांग के प्राप्त करने के हकदार हैं।

इस नीति को अपनाते समय, बैंक उचित व्यवहार संहिता और ग्राहकों और एमएसई के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता में उल्लिखित ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है। यह दस्तावेज एक व्यापक ढांचा है जिसके तहत आम जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं के संबंध में विस्तृत परिचालन अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

(स्रोत: बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र 1 जुलाई, 2015, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995)

1. "चालू खाता" का अर्थ है गैर-ब्याज वाली मांग जमा का एक रूप जिसमें खाते में शेष राशि या किसी विशेष सहमत राशि तक के आधार पर किसी भी बार निकासी की अनुमति दी जाती है और इसमें अन्य जमा खाते भी शामिल होंगे जो न तो बचत जमा हैं और न ही सावधि जमा।
2. "मांग जमा" का अर्थ बैंक द्वारा प्राप्त ऐसी जमा राशि है जो मांग पर आहरित की जा सकती है।
3. "बचत जमा" का अर्थ है ब्याज वाले मांग जमा का एक रूप जो किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरण की संख्या के साथ-साथ आहरण की राशि के रूप में प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।
4. "मीयादी जमा" का अर्थ है बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की गई जमाराशि, जिसे केवल नियत अवधि की समाप्ति के बाद ही निकाला जा सकता है और इसमें आवर्ती / अल्पावधि जमा / सावधि जमा / मासिक आय जमा / त्रैमासिक आय जमा आदि जैसे जमा शामिल हैं (181 दिनों से कम अवधि के लिए स्वीकार की गई सावधि जमा को अल्पावधि जमा के रूप में माना जाएगा)। इन जमाओं को इस पॉलिसी के खंड जी और एच में उल्लिखित शर्तों के अधीन समय से पहले (यानी, निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले) निकाला जा सकता है।
5. वरिष्ठ नागरिक - कोई भी ग्राहक जिसने 60 वर्ष से 80 वर्ष से कम आयु तक की आयु पूरी कर ली है।
6. सुपर सीनियर सिटीजन – कोई भी ग्राहक जिसने 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
7. कर्मचारी - "बैंक के स्टाफ का एक सदस्य" का अर्थ है नियमित आधार पर नियोजित व्यक्ति, चाहे पूर्णकालिक या अंशकालिक, और इसमें परीक्षा पर भर्ती किया गया व्यक्ति या निर्दिष्ट अवधि के अनुबंध पर नियोजित या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित व्यक्ति शामिल है, कर्मचारी सेवानिवृत्ति के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं और सम्मेलन की किसी भी योजना के अनुसरण में लिया गया कर्मचारी लेकिन इसमें आकस्मिक आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है।
8. अलग-अलग विकलांग व्यक्ति – ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 कुछ निर्दिष्ट विकलांगताओं से संबंधित एक कानून प्रदान करता है। अधिनियम में परिभाषित

किया गया है कि विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता अथवा ऐसी किन्हीं दो या अधिक स्थितियों के संयोजन से संबंधित किसी भी स्थिति से पीड़ित व्यक्ति से है और इसमें गंभीर बहुविकलांगता से पीड़ित व्यक्ति शामिल है।

9. विकलांग व्यक्ति – विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार, विकलांगता की सात श्रेणियों की पहचान की गई है, अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित, लोकोमोटर विकलांगता (हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता जिसके कारण अंगों की गति पर पर्याप्त प्रतिबंध या मस्तिष्क पक्षाघात का एक सामान्य रूप है), मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। न्यूनतम 40% विकलांगता के साथ उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को अलग-अलग विकलांग व्यक्ति कहा जा सकता है। शाखाएं ऐसे सभी ग्राहकों को उनके साथ बातचीत या उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत के आधार पर सेवा प्रदान करेंगी।

B. जमाराशियों के प्रकार

जबकि बैंक द्वारा पेश किए गए विभिन्न जमा उत्पादों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, इन्हें मोटे तौर पर डिमांड डिपॉजिट (बचत खाता और चालू खाता), और मीयादी जमा (सावधि जमा और आवर्ती जमा) में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त व्यापक श्रेणियों के साथ, बैंक विशिष्ट उत्पाद विशेषताओं के साथ विभिन्न उत्पाद प्रकार पेश कर सकता है जिन्हें उत्पाद अनुमोदन समिति (पीएसी) में अनुमोदित किया जाएगा।

C. खाता खोलना और जमा खातों का संचालन

1. बैंक, कोई भी जमा खाता खोलने से पहले, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरबीआई द्वारा जारी "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) दिशानिर्देशों या बैंक की ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार ऐसे अन्य मानदंडों या प्रक्रियाओं के तहत अपेक्षित उचित परिश्रम करेगा। खाता खोलने में किसी भी देरी के मामले में, बैंक ग्राहक को उसके कारणों से अवगत कराएगा और अंतिम निर्णय जमाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

2. बैंक समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के माध्यम से उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बैंक छोटे खातों की भी पेशकश करेगा जो केवाईसी 2016 पर मास्टर निदेश (समय-समय पर अद्यतन) के अनुसार उदार ग्राहक स्वीकृति मानदंडों के साथ खोले जाएंगे।
3. खाता खोलने के फॉर्म और अन्य सामग्री संभावित जमाकर्ता को प्रदान की जाएगी। इसमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और सत्यापन के लिए और या रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण होगा। खाता खोलने वाला बैंक अधिकारी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को समझाएगा और जमा खाता खोलने के लिए भावी जमाकर्ताओं द्वारा मांगी गई आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। डिजिटल खाता खोलने के मामले में सभी आवश्यक जानकारी बैंक की वेबसाइट/ऐप पर उपलब्ध कराई जाती है।
4. विनियामक दिशानिर्देशों में बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जोखिम बोध के आधार पर ग्राहकों को वर्गीकृत करें और लेन-देन निगरानी के प्रयोजन के लिए ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करें। आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करने के लिए संभावित ग्राहक की अक्षमता या अनिच्छा के परिणामस्वरूप खाता नहीं खोला जा सकता है।
5. सांविधिक और विनियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में मौजूदा ग्राहक की असमर्थता के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा ग्राहक को यथोचित नोटिस दिए जाने के बाद खाता बंद किया जा सकता है।
6. बचत बैंक खाता और चालू जमा खाता जैसे जमा उत्पादों के लिए, बैंक सामान्यतः ऐसे खातों के परिचालन को शासित करने वाले निबंधन एवं शर्तों/प्रभारों की अनुसूची (एसओसी) के भाग के रूप में बनाए रखने के लिए कुछ औसत शेष निर्धारित करेगा। खाते में औसत शेष न बनाए रखने पर बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रभार लगाए जाएंगे। बचत बैंक खाते के लिए, बैंक ने दी गई अवधि के लिए लेनदेन की संख्या, नकद निकासी आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, बैंक ने चेक बुक जारी करने, खातों का अतिरिक्त विवरण, डुप्लीकेट पासबुक, फोलियो प्रभार आदि के लिए प्रभार विनिर्दिष्ट किए हैं। खाते के परिचालन के लिए निबंधन एवं शर्तों तथा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के प्रभारों की अनुसूची के संबंध में ऐसे सभी विवरण खाता खोलते समय अथवा समय-समय पर, जैसा भी मामला हो, भावी जमाकर्ता को सूचित किए जाएंगे। नियम और शर्तों या प्रभारों की अनुसूची में कोई भी परिवर्तन ग्राहक को एक महीने के नोटिस के साथ सूचित किया जाएगा।

7. बैंक द्वारा खाता खोलने के नियमों और शर्तों के अनुसार बचत खाते के साथ-साथ चालू खाता धारकों को समय-समय पर खाता विवरण प्रदान किया जाएगा। बैंक बचत खाता धारकों को पासबुक जारी कर सकता है।
8. बचत खाता पात्र व्यक्तियों/व्यक्तियों और कुछ संगठनों/एजेंसियों के लिए खोला जा सकता है (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किया गया है)
9. चालू खाते निवासी व्यक्तियों/अनिवासी भारतीय व्यक्तियों/साझेदारी फर्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/हिंदू अविभाजित परिवारों/विनिदष्ट सहयोगियों/सोसायटियों/न्यासों, सरकार द्वारा सृजित प्राधिकरण विभागों (केंद्रीय या राज्य) सीमित देयता भागीदारी आदि द्वारा खोले जा सकते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार खोले जा सकते हैं।
10. मीयादी जमा खाते निवासी व्यक्तियों/अनिवासी भारतीय व्यक्तियों/साझेदारी फर्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ/विनिदष्ट सहयोगियों/सोसायटियों/न्यासों, सरकार (केंद्रीय या राज्य) द्वारा सृजित प्राधिकरण विभागों, सीमित देयता भागीदारी आदि द्वारा खोले जा सकते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार खोले जा सकते हैं।
11. जमा खाता खोलते समय उचित परिश्रम प्रक्रिया को बैंक की केवाईसी/एएमएल नीति में उल्लिखित किया जाएगा।
12. जमा खाते एक व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर (एकल नाम में खाते के रूप में जाना जाता है) या अपने स्वयं के नाम पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है (संयुक्त खाता के रूप में जाना जाता है)।
13. जमा खाते किसी नाबालिग द्वारा भी खोले जा सकते हैं (जिसे नाबालिग के खाते के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक अभिभावक या अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से जाना जाता है)। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को सीमा के साथ डेबिट कार्ड या चेक बुक के साथ/उसके बिना खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे खातों में अनुमत आयु सीमा और उत्पाद विशेषताएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी और पीएसी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। इन नाबालिगों को कोई ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा। आवर्ती जमा खाता सहित बचत बैंक खाता और मीयादी जमा खाता भी एक नाबालिग द्वारा खोला जा सकता है जिसका प्रतिनिधित्व या तो एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता है। यह एक प्रमुख के साथ संयुक्त रूप से भी आयोजित किया जा सकता है। इन खातों को खोलते और संचालित करते समय

केवाईसी मानदंडों और नाबालिग और अभिभावक के उचित परिश्रम को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

14. बैंक उन लघु खातों से पूर्व सूचना शुरू करेगा जो वयस्कता प्राप्त करेंगे। वयस्कता प्राप्त करने पर, खाता तब तक निष्क्रिय होना चाहिए जब तक कि ग्राहक आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ नाबालिग खाते को प्रमुख में परिवर्तित नहीं कर देता। खाते को अवयस्क से बालिग में परिवर्तित करने के दौरान, पूर्ववर्ती अवयस्क को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाते का संचालन प्राकृतिक अभिभावक/अभिभावक द्वारा किया जाता है, तो प्राकृतिक अभिभावक द्वारा विधिवत सत्यापित पूर्ववर्ती अवयस्क के नए नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे और सभी परिचालन उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।

15. बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में खाते को केवाईसी गैर-अनुपालन के रूप में प्रस्तुत कर सकता है:

एक। ऐसे खाते जहां केवाईसी अपडेट अतिदेय है।

ख. मौजूदा खातों को पुन जांच/लेखा परीक्षा/निरीक्षण पर केवाईसी का अनुपालन नहीं किया गया।

c. ऐसे खाते जहां ग्राहक लाभकारी स्वामित्व जानकारी सहित अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करता है।

16. संयुक्त खाते का संचालन – एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते को एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है। खाते के संचालन के लिए जनादेश को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। नाबालिग के खाते के मामले में, अभिभावक केवल तब तक खाते का संचालन कर सकता है जब तक कि नाबालिग वयस्क नहीं हो जाता।

17. एनआरओ खातों के लिए: संयुक्त खाते 'या तो या उत्तरजीवी' आधार पर निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं। एनआरआई और/या पीआईओ अन्य एनआरआई और/या पीआईओ के साथ संयुक्त रूप से एनआरओ खाता रख सकते हैं।

एनआरई खातों / एफसीएनआर (बी) के लिए: संयुक्त खाते दो या दो से अधिक एनआरआई और/या पीआईओ द्वारा या एनआरआई/पीआईओ द्वारा निवासी रिश्तेदार (रिश्तेदारों) के साथ 'पूर्व या उत्तरजीवी' आधार पर खोले जा सकते हैं।

आरएफसी खाते के लिए: ऐसे खाते निवासी रिश्तेदार के साथ संयुक्त धारक के रूप में 'पूर्व या उत्तरजीवी' आधार पर संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं।

18. संयुक्त खाता धारक उपर्युक्त खातों में शेष राशि के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कोई भी अधिदेश दे सकते हैं। चालू खाता और बचत खाते के मामले में, परिचालन के दौरान और खाता बंद करने पर अधिदेश लागू होगा।

I. या तो या उत्तरजीवी: यदि खाता दो व्यक्तियों जैसे A और B द्वारा रखा गया है, तो खाते को व्यक्तिगत रूप से A या B द्वारा संचालित किया जा सकता है और ब्याज के साथ अंतिम शेष, यदि लागू हो, तो खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा।

II. कोई भी या उत्तरजीवी: यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों ए, बी और सी द्वारा आयोजित किया जाता है, तो खाते को ए या बी या सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जा सकता है और ब्याज के साथ अंतिम शेष, यदि लागू हो, किसी भी दो खाताधारकों की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा।

III. पूर्व या उत्तरजीवी: यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम पर है, जैसे कि ए और बी, खाते को ए द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और ब्याज के साथ अंतिम शेष, यदि लागू हो, तो परिपक्वता की तारीख पर पूर्व यानी ए को भुगतान किया जाएगा और खाताधारकों में से किसी की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा।

IV. उत्तरार्द्ध या उत्तरजीवी: यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम पर है, जैसे कि ए और बी, तो खाते को बी द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और ब्याज के साथ अंतिम शेष, यदि लागू हो, परिपक्वता की तारीख को बाद वाले यानी बी को भुगतान किया जाएगा और खाताधारकों में से किसी की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा।

V. संयुक्त रूप से: यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों जैसे A और B के नाम पर है, तो खाते को A और B दोनों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और ब्याज सहित अंतिम शेष, यदि लागू हो, उत्तरजीवी और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी एक खाताधारक की मृत्यु पर भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त अधिदेश सभी जमा खातों पर लागू होगा और/या सावधि जमाओं की परिपक्वता की तारीख को या उसके बाद ही परिचालित होगा। इस मैडेट को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी', 'कोई भी या उत्तरजीवी' या 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' के अधिदेश के अनुसार जमाराशियों का समयपूर्व आहरण

करना पसंद करते हैं तो बैंक मृतक जमाधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति लिए बिना जीवित जमाकर्ता/जमाओं को मीयादी जमाराशियों के परिपक्वतापूर्व आहरण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि सभी जमाकर्ताओं ने खाता खोलने के समय या बाद में किसी भी समय उक्त प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट संयुक्त अधिदेश दिया हो। जमाराशि की अवधि (जैसा कि किसी विशेष प्रकार की जमाराशि पर लागू होता है)।

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक उसके द्वारा दिए गए अधिदेश/पावर ऑफ अटॉर्नी को पंजीकृत करेगा जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से खाते का परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

19. संयुक्त खाता धारकों के नाम/नामों को जोड़ना या हटाना : बैंक सभी संयुक्त खाता धारकों के अनुरोध पर यदि परिस्थितियां आवश्यक हों तो संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकती हैं या व्यक्तिगत जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकती है।

20. मीयादी जमा खाताधारक अपनी जमाराशियां प्रस्तुत करते समय जमा खाता बंद करने अथवा परिपक्वता की तारीख को आगे की अवधि के लिए जमाराशि के नवीकरण के संबंध में अनुदेश दे सकते हैं। किसी अनुदेश के अभाव में जमाराशियों को स्वतः नवीकरण जमाराशि माना जाएगा और ऐसे नवीकरण की तारीख को लागू ब्याज दरों के साथ परिपक्व जमाराशि के समान अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

21. व्यक्तियों और मालिकों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। यह सुरक्षित जमा लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी एकल या संयुक्त रूप से उपलब्ध है। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। किए गए नामांकन को खाताधारक द्वारा किसी भी समय रद्द या बदला जा सकता है। नामांकन को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। जब नामांकन किसी नाबालिग के पक्ष में किया जाता है, तो नामांकन करते समय, जमाकर्ता को उस व्यक्ति का नाम देना होता है (जिसे नियुक्त किया जाता है) जो एक वयस्क है और नामांकित व्यक्ति के अल्पमत के दौरान खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करेगा।

22. बैंक सिफारिश करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं। जमाकर्ता/ओं/की मृत्यु की स्थिति में नामिती, कानूनी उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में खाते में बकाया शेष राशि प्राप्त करेगा। जमाकर्ता को जमा खाता खोलते समय नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा।

23. जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खातों को बैंक की किसी अन्य शाखा में अंतरित किया जा सकता है।

24. निरक्षर व्यक्तियों के खाते : बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी अनपढ़ व्यक्ति के चालू खाते से भिन्न अन्य जमा खाते खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते वह बैंक को व्यक्तिगत रूप से एक गवाह के साथ बुलाता है जो जमाकर्ता और बैंक दोनों को जानता है। आम तौर पर, ऐसे बचत बैंक खाते के लिए कोई चेक बुक और डेबिट कार्ड सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। जमा राशि और/या ब्याज की निकासी / पुनर्भुगतान के समय, खाताधारक को अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान या निशान चिपकाना चाहिए जो व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगा। बैंक खाताधारक को दी जाने वाली पासबुक आदि की उचित देखभाल और सुरक्षित रखने की आवश्यकता समझाएगा। बैंक अधिकारी अनपढ़ व्यक्ति को खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा। नामांकन, रद्दीकरण, या उसमें कोई परिवर्तन करते समय, यदि खाताधारक अनपढ़ है (यानी, यदि फॉर्म में खाताधारक के अंगूठे का निशान है) तो किसी तीसरे पक्ष द्वारा देखा जाना आवश्यक है।

25. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के खाते: बैंक दृष्टि बाधिता वाले व्यक्तियों के बचत बैंक खाते तथा सावधि जमा खाते खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे खातों का संचालन खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि तृतीय पक्ष चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर बिना किसी भेदभाव के निरपवाद रूप से प्रदान की जाएंगी।

26. बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि हमारी शाखाएं विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दृष्टिबाधित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। बैंक के सभी एटीएम ब्रेल कीपैड वाले एटीएम की बात कर रहे हैं। बैंक कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए सभी बैंक शाखाओं में आवर्धक चश्मा प्रदान करता है, जहां भी उन्हें आसानी से बैंकिंग लेनदेन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे खाताधारकों को शाखा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अंगूठे का निशान / हस्ताक्षर लगाना होगा, और संचालन की सुविधा के लिए उनकी तस्वीर के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी।

27. निष्क्रिय खाते: जिन खातों को एक वर्ष की अवधि के लिए परिचालित नहीं किया जाता है, उन्हें जमाकर्ता के साथ-साथ बैंक के हित में निष्क्रिय खातों के रूप में टैग किया जाएगा। निष्क्रिय होने और खाते के निष्क्रिय होने से 1 महीने पहले जमाकर्ता को

एक सूचना भेजी जाएगी. ग्राहक खाते में अनुमत लेनदेन करके खाते को सक्रिय कर सकता है।

28. निष्क्रिय/निष्क्रिय खाते : जिन खातों का लगातार दो वर्षों तक परिचालन नहीं किया जाता है, उन्हें जमाकर्ता और बैंक के हित में निष्क्रिय/निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने से 3 महीने पहले जमाकर्ता को सूचित किया जाएगा। जमाकर्ता बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह बैंक की निष्क्रिय खाता सक्रियण प्रक्रिया के अनुसार खाते को सक्रिय करने के लिए इसे सक्रिय करे। बैंक निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाएगा और न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए बैंक द्वारा निष्क्रिय/निष्क्रिय खातों पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

29. बैंकों में दावा न की गई जमाराशियां/निष्क्रिय खाते:

I. "दावा न किए गए जमा खाते" का अर्थ है, ऐसे खाते, जिनका दस वर्षों से परिचालन नहीं किया गया है (एक निश्चित अवधि के लिए जमा धन के मामले में दस वर्षों की उक्त अवधि की गणना ऐसी निश्चित अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी)।

II. दावा न की गई जमाराशियों/निष्क्रिय खातों के खाताधारकों के ठिकाने का पता लगाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, ऐसे खातों की सूची जो दस साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हैं, हमारे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। वैयक्तिक ग्राहकों के लिए, वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची में दावा न की गई जमाराशियों/निष्क्रिय खातों के संबंध में खाता(धारकों) के नाम और उनका पता निहित है। गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए, वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची में संस्था के नाम और दावा न की गई जमाराशियों के संबंध में उसका पता शामिल है। मैं

III. निष्क्रिय विदेशी मुद्रा जमाओं का क्रिस्टलीकरण –

क) यदि कोई निश्चित परिपक्वता तिथि वाली विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित जमाराशि जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय रहती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में, प्राधिकृत बैंक विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित जमाराशि में पड़ी शेष राशि को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित करेगा। इसके बाद, जमाकर्ता या तो उक्त भारतीय रुपये की आय और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, या मूल जमा की भारतीय रुपया आय के विदेशी मुद्रा समकक्ष (भुगतान की तारीख को प्रचलित दर पर गणना) और ऐसी भारतीय रुपये की आय पर ब्याज, यदि कोई हो, का दावा करने का हकदार होगा।

ख) बिना किसी निश्चित परिपक्वता अवधि वाली विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित जमाराशियों के मामले में, यदि जमाराशि तीन वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय रहती है (बैंक प्रभारों के डेबिट को परिचालन के रूप में नहीं माना जाएगा), तो प्राधिकृत बैंक, जमाकर्ता को उसके साथ उपलब्ध अंतिम ज्ञात पते पर तीन महीने का नोटिस देने के बाद, प्रचलित विनिमय दर पर नोटिस अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा से जमा को भारतीय रुपये में परिवर्तित करें। तत्पश्चात्, जमाकर्ता या तो उक्त भारतीय रुपए की प्राप्तियों और उस पर ब्याज (केवल बचत खाता), यदि कोई हो, या मूल जमा की भारतीय रुपया प्राप्तियों के विदेशी मुद्रा समतुल्य (भुगतान की तारीख के अनुसार प्रचलित दर पर गणना) और ऐसे भारतीय रुपए की प्राप्तियों पर ब्याज, यदि कोई हो, का दावा करने का हकदार होगा।

30. बैंक द्वारा वैकल्पिक वितरण चैनलों का विस्तार:

ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य बैंकिंग उत्पाद सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं जैसे

डेबिट कार्ड: बैंक अपने बचत/चालू खाता ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बेंचमार्क के भीतर डेबिट कार्ड जारी करने के साथ-साथ लेनदेन पर उचित निर्गम/सदस्यता शुल्क वसूल सकता है। बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से एक व्यापक डेबिट कार्ड जारी करने की नीति तैयार की है और नीति के अनुसार डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

II. अन्य चैनल: बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और मिस्ड कॉल अलर्ट सेवाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। इन वैकल्पिक चैनलों तक पहुंच डिजिटल बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार होगी। बैंक ने अपनी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया तैयार की है। बैंक ने ग्राहकों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई से पूर्व एकबारगी अनुमोदन प्राप्त किया है। उत्पाद के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन, साथ ही अपनाए जाने वाले प्रस्तावित जोखिमों और शमन उपायों को योजना शुरू करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। बैंक अपने बोर्ड/प्रतिनिधि के अनुमोदन से अपनी जोखिम अवधारणा के आधार पर प्रति लेन-देन सीमा निर्धारित कर सकते हैं। सीमा-पार, आवक और जावक अंतरण के लिए मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग सख्त वर्जित है। फेमा नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी खाता बैंक द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

31. ट्रांसजेंडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले में और खाता खोलने या कोई बैंकिंग लेनदेन करने की आवश्यकता है, तो व्यक्ति को "तृतीय लिंग" के रूप में मान्यता

दी जाएगी और विवरण एओएफ/या अन्य लागू प्रपत्रों में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का अभिवादन "एमएक्स" होगा। सभी ट्रांसजेंडर ग्राहकों को बिना किसी भेदभाव के अन्य पुरुष / महिला ग्राहकों के समान व्यवहार किया जाएगा।

32. बैंक खाता खोलने और परिचालन की शर्तों के अनुसार, कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के अनुदेशों, धोखाधड़ी के मामलों और ग्राहक अनुरोधों पर सहमत प्रभारों की वसूली के लिए एनआरई खाते पर ग्रहणाधिकार चिह्नित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

D. ब्याज भुगतान

1. बचत बैंक खाते

I. ब्याज भुगतान : बचत खाते पर ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा 03 मार्च 2016 के दिशा-निर्देशों के भीतर निर्धारित दर पर – मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) और आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।

II. इसके अलावा, बचत बैंक खाते पर ब्याज की गणना समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट विधि के अनुसार की जाएगी। इसे अनुमोदन के लिए एल्को के समक्ष रखा जाएगा।

III. ब्याज तिमाही या छोटे अंतरालों पर या ऐसी आवधिकता के अनुसार जमा किया जाएगा जो आरबीआई समय-समय पर निर्धारित करे। सभी ब्याज भुगतानों को निकटतम रुपये में गोल किया जाएगा।

प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा फ्रीज किए गए खातों सहित बचत बैंक खातों पर ब्याज नियमित आधार पर जमा किया जाएगा, चाहे खाते की परिचालन स्थिति कुछ भी हो।

2. मीयादी जमा बैंक निम्नलिखित अवधि के साथ जमा प्रदान करता है:

निवासी/एनआरओ मीयादी जमा न्यूनतम – 7 दिन अधिकतम – 10 वर्ष

एनआरई मीयादी जमा न्यूनतम – 1 वर्ष अधिकतम – 10 वर्ष

एफसीएनआर (बी) / आरएफसी जमा न्यूनतम – 1 वर्ष अधिकतम – 5 वर्ष

महत्वपूर्ण बिंदु: 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जमाराशियां विनियामक/सांविधिक/प्रवर्तन/अन्य कानूनी एजेंसियों/न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती हैं।

II. मीयादी जमा ब्याज दरें बैंक द्वारा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के भीतर तय की जाती हैं। इन दरों को ALCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा निम्नानुसार होगी:
 फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित संबंधित मुद्रा/स्वैपरेट्स के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग
 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

जमा की अवधि	अधिकतम दर
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम	संबंधित मुद्रा/स्वैप जमा 250 आधार अंकों के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर
3 वर्ष और उससे अधिक 5 वर्ष तक	संबंधित मुद्रा के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर/स्वैप प्लस 350 आधार अंक

IV. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा योजनाएं तैयार करने की अनुमति दी है जो किसी भी आकार (थोक जमाराशियों को छोड़कर) की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्च नियत ब्याज दर प्रदान करती हैं। तदनुसार, बैंक एल्को द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करेगा। वर्तमान में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश/दिशानिर्देश अनिवासी भारतीय ग्राहकों को वरिष्ठ नागरिक दरों की पेशकश करने की अनुमति नहीं देते हैं। यह सुविधा एचयूएफ या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के कर्ता के नाम पर खड़े सावधि जमा पर नहीं दी जाती है, भले ही कर्ता एक निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक हो।

V. सावधि जमा पर ब्याज ऐसी आवधिकता पर देय है जैसा कि खाता खोलने के समय संविदा की गई थी और आरबीआई/आईबीए द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर समय-

समय पर निर्दिष्ट दरों पर। सभी ब्याज भुगतानों को निकटतम रुपये में गोल किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक जमाराशियों के लिए उच्च दरें एकल धारिता के मामले में या संयुक्त खातों के मामले में केवल पहले धारक / जमाकर्ता के लिए लागू होंगी।

VII. वरिष्ठ नागरिक और अतिवरिष्ठ जमाराशियों (3 करोड़ और उससे अधिक) पर उच्च दरें लागू नहीं होंगी।

VIII. फ्लोटिंग दर मीयादी जमाएं बाजार आधारित रुपया बेंचमार्क दर से जुड़ी होती हैं, जो इन जमाओं के लिए लंगर दर के रूप में कार्य करती है।

IX. जहां जमाराशियों का समयपूर्व आहरण न्यूनतम अवधि के पूरा होने से पहले किया जाता है तो किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त ब्याज दरें (थोक जमा को छोड़कर)

RBI ने बैंकों को कर्मचारियों के सदस्यों को 1% की अतिरिक्त ब्याज दर की पेशकश करने की अनुमति दी है जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी शामिल होगा:

क. बैंक के स्टाफ का कोई सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य, अकेले या किसी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से; (जहां सदस्य पहले धारक है) या

ख. मृत सदस्य का पति/पत्नी या बैंक के स्टाफ का कोई मृतक सेवानिवृत्त सदस्य; और

ग. एक एसोसिएशन या एक फंड, जिसके सदस्य बैंक के कर्मचारियों के सदस्य हैं।

बैंक अपने विवेक से और एल्को में निहित शक्तियों के अनुरूप, एनआर जमाराशियों पर अपने कर्मचारियों को उच्च दरों की पेशकश करने की अनुमति दे सकता है, यदि दिशानिर्देश भविष्य में ऐसा करने की अनुमति देते हैं। स्टाफ सदस्य ऊपर बताए गए अतिरिक्त ब्याज दर के लाभ के अलावा वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों को लागू अतिरिक्त ब्याज दर प्राप्त करने के हकदार होंगे।

E. ब्याज की गणना की विधि:

बचत खाता:

1. ब्याज की गणना और अर्जित दैनिक किया जाएगा, जो खाते में दिन की शेष राशि के अंत के आधार पर होगा।

2. ब्याज का भुगतान/क्रेडिट ग्राहक के खाते में तिमाही आधार पर प्रत्येक वर्ष 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को किया जाता है।

3. बचत खाते में रु. 1 लाख तक की शेष राशि के लिए ब्याज की गणना एक समान दर पर की जाती है, भले ही इस सीमा के भीतर शेष राशि कुछ भी हो। 1 लाख से अधिक की शेष राशि बैंक की वेबसाइट पर दर्शाई गई ब्याज दर मूल्य ग्रिड के आधार पर विभेदक ब्याज अर्जित करेगी। यह आरबीआई के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

गणना उदाहरण बैंक की वेबसाइट पर प्रदान किया गया है। लिंक नीचे दिया गया है।

<https://www.rblbank.com/interest-rates?tab=saving-account>

मीयादी जमा:

1. दरें सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समान होंगी और किसी भी बैंक कार्यालय में एक जमा राशि और उसी तारीख को स्वीकार की गई समान राशि की दूसरी जमाराशियों पर भुगतान किए गए ब्याज के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा।

2. दरें जमाकर्ताओं और बैंक के बीच बातचीत के अधीन नहीं होंगी। प्रस्तावित ब्याज दरें उचित, सुसंगत, पारदर्शी होंगी और जब भी आवश्यक हो, पर्यवेक्षी समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

3. यदि कोई मीयादी जमाराशि किसी गैर-कारोबारी कार्य दिवस पर भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है तो बैंक गैर-कारोबारी कार्य दिवस के लिए मूल मूल मूल जमा राशि पर मूल अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो जमाराशि की निर्दिष्ट अवधि की परिपक्वता की तारीख और अगले कार्य दिवस पर जमाराशि की प्राप्तियों के भुगतान की तारीख के बीच का होगा।

4. गैर-कारोबारी कार्य दिवस पर परिपक्व होने वाली पुनर्निवेश जमाराशियों और आवर्ती जमाराशियों के मामले में, बैंक बीच के गैर-कारोबारी कार्य दिवस के लिए परिपक्वता मूल्य पर ब्याज का भुगतान करेगा।

5. त्रैमासिक भुगतान के साथ सावधि जमा के लिए ब्याज की गणना वार्षिक दरों (साधारण ब्याज) पर की जाती है। हालांकि, मासिक भुगतान के मामले में, हालांकि ब्याज की गणना वार्षिक दर पर की जाती है, ब्याज का भुगतान रियायती दर पर किया जाता है।

6. मीयादी जमा के लिए, ब्याज की गणना पूरी तिमाहियों के लिए मूल राशि पर की जाती है और फिर शेष अवधि के लिए, ब्याज की गणना वास्तविक दिनों के लिए की जाती है। बैंक द्वारा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा

सुझाए गए सूत्रों और अभिसमयों के अनुसार की जाती है। पुनर्निवेश जमा/संचयी सावधि जमाओं के लिए, ब्याज प्रत्येक तिमाही के पूरा होने पर संयोजित किया जाता है। पूर्ण तिमाही से परे टूटी हुई अवधि के लिए, साधारण ब्याज की गणना वास्तविक दिनों की संख्या के लिए संचयी जमा राशि पर की जाती है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 7 दिनों और 180 दिनों के बीच अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, जहां ब्याज की गणना साधारण ब्याज के रूप में परिपक्वता पर की जाती है। मासिक और त्रैमासिक ब्याज भुगतान जमा 12 महीने से कम के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के मामले में, आरबीआई द्वारा जारी वर्तमान निर्देशों के अनुसार, 6 महीने को 180 दिनों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।

7. दिनों की वास्तविक संख्या के लिए ब्याज दर की गणना के लिए (यदि ब्याज की गणना अपूर्ण महीने के लिए की जाती है), तो हर को लीप वर्ष के बावजूद 365 दिनों के रूप में लिया जाता है। एफसीएनआर (बी)/आरएफसी जमाराशियों के मामले में, प्रचलित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार भाजक को 360 दिन माना जाता है। एफसीएनआर (बी) / आरएफसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित सभी लेनदेनों को दो दशमलव स्थानों में पूर्णांकित किया जाएगा।

8. अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज (मीयादी जमा परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है)। बैंक के पास अदावी छोड़ी गई राशि पर ब्याज दर लागू होगी जो बचत खाते पर लागू होगी या परिपक्व टीडी पर अनुबंधित ब्याज दर, जो भी कम हो।

9. जमाराशियों पर ब्याज दर शाखा परिसर में और बैंक की वेबसाइट www.rblbank.com पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में परिवर्तन, यदि कोई हो, को भी अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

10. रविवार या अवकाश या गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस पर भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली सावधि जमा के संबंध में, सभी रविवार/अवकाश/गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस के लिए जमा राशि पर मूल रूप से अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो जमा की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख और अगले कार्य दिवस पर जमा की आय के भुगतान की तारीख के बीच हस्तक्षेप करेगा।

11. आंशिक परिसमापन के मामले में, आंशिक राशि लागू होने के बाद लागू रन अवधि पर परिसमापन हो जाएगी। शेष मीयादी जमा मूल्य मूल अवधि में लागू दर पर मूल्य के आधार पर जारी रहेगा।

12. बैंक अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली में जमाराशि ब्याज दर कार्ड बनाए रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी भेदभाव के सभी जमाओं पर समान दरें लागू हों।

F. TDS (स्रोत पर कर कटौती)

1. बैंक का सांविधिक दायित्व है कि वह स्रोत पर कर की कटौती करे यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी मीयादी जमाराशियों पर भुगतान/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो। जमाकर्ता, यदि टीडीएस से छूट का हकदार है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक का यह दायित्व है कि वह एनआरओ बचतों और मीयादी जमाराशियों पर अर्जित ब्याज आय पर स्रोत पर टीडीएस काटे, चाहे अर्जित ब्याज की कुल राशि कुछ भी हो।

2. टीडीएस छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, जहां भी टीडीएस छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, समय से पहले बंद होने या टीडीएस थ्रेशोल्ड सीमा के उल्लंघन के कारण किसी भी कमी के मामले में टीडीएस राशि ब्याज घटक या मूल मूल्य से काटी जा सकती है।

अर्जित ब्याज पर टीडीएस राशि, जिसकी गणना हर साल 31 मार्च को की जाती है, बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से कर अधिकारियों को भेज दी जाती है। इस टीडीएस राशि पर 1 अप्रैल से परिपक्वता या चक्रवृद्धि या जमा के अगले ब्याज भुगतान तक ब्याज / परिपक्वता आय से समायोजित किया जाता है।

छ. मीयादी जमाराशियों का परिपक्वता पूर्व आहरण और समयपूर्व आहरण सुविधा के बिना मीयादी जमाराशियों पर विभेदित ब्याज दर:

1. बैंक निम्नानुसार गैर-कालोन्या जमाराशियां स्वीकार करेगा

संविधान	कुल धनराशि
व्यक्ति (एकल स्वामित्व सहित)	1,00,00,000 से ऊपर
गैर-व्यक्तियों के लिए (एचयूएफ सहित)	50,00,000 और अधिक

2. मीयादी जमा बकेट में जहां बैंक समयपूर्व आहरण सुविधा के साथ/बिना दोनों जमाराशियां प्रदान करता है, ग्राहक को दो सुविधाओं के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। परिपक्वतापूर्व निकासी सुविधा के बिना मीयादी जमाराशियों के लिए, बैंक विभेदक ब्याज दर की पेशकश कर सकता है। तथापि, बैंक मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज दर की अनुसूची का अग्रिम रूप से खुलासा करेगा। तथापि, बैंक ऐसे जमाकर्ताओं को समयपूर्व आहरण की अनुमति न देने की अपनी नीति के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करेगा अर्थात् ऐसी जमाराशियां स्वीकार करते समय।
3. मीयादी जमा के अपरिपक्व (पूर्ण/आंशिक) आहरण पर, ब्याज की गणना उस अवधि के लिए लागू दर पर की जाएगी जिसके लिए मीयादी जमा वास्तव में बैंक के पास रही है न कि संविदात्मक दर पर।
4. स्वीप-इन और आंशिक आहरण सहित ऐसी समयपूर्व आहरणों के लिए, बैंक लागू दर पर एल्को द्वारा निर्धारित जुर्माना लगा सकता है।

ज. मीयादी जमाराशियों के परिपक्व-पूर्व आहरण पर दंडात्मक ब्याज (गैर-कल्पनीय जमाराशियों को छोड़कर):

1. एएलसीओ मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण पर दंडात्मक ब्याज की दर परिभाषित करेगा। बैंक मीयादी जमा के परिपक्वतापूर्व आहरण के लिए अपनी दंडात्मक ब्याज दर नीति की घोषणा करेगा। बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दर से अवगत कराएगा।
2. मीयादी जमा की समयपूर्व निकासी पर दंडात्मक ब्याज खुदरा जमा पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू नहीं होगा, हालांकि यह वरिष्ठ नागरिकों की थोक जमा पर लागू होगा।
3. मृत जमाकर्ताओं या संयुक्त खाताधारकों के दावेदार/दावेदारों के अनुरोध पर मीयादी जमा (एफसीएनआर (बी) जमाराशियों सहित) की राशि को विभाजित करने के मामले में, यदि जमा की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मीयादी जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

NRE/FCNR(B)/RFC जमाराशियों की समयपूर्व निकासी पर जुर्माना:

1. एनआरई जमाराशियों को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में और एनआरई जमाराशियों को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में परिवर्तित करने पर समयपूर्व आहरण के लिए दंड लगाया जाएगा।
2. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के समयपूर्व आहरण पर जुर्माना लगाया जाएगा जब जमाकर्ता स्थायी निपटान के लिए भारत लौटते हैं।
3. जहां शाखा के जमाकर्ता कारोबार को दूसरे बैंक में अंतरित करने के परिणामस्वरूप जमाराशि का समयपूर्व आहरण चाहते हैं तो समयपूर्व आहरण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
4. अनिवासियों द्वारा भारत लौटने पर निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में परिवर्तन के लिए एनआरई/एफसीएनआर (बी) मीयादी जमाराशियों के समय से पहले आहरण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

I. मीयादी जमाराशियों का समयपूर्व नवीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि जमाकर्ता जिसके पास मौजूदा मीयादी जमा है वह सावधि जमा की किसी अन्य योजना में पुनर्निवेश के लिए आवेदन करता है तो मौजूदा शास्ति दर के अनुसार शास्ति प्रभारित करने के बाद मौजूदा जमा राशि को समय से पहले बंद कर दिया जाएगा।

बैंक अपने विवेकानुसार और बोर्ड द्वारा एल्को में निहित शक्तियों पर, उपर्युक्त नीति को बदल सकता है, यदि और जब भी निदेश/दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन होता है। परिवर्तन, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

जे. अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण

1. सभी सावधि जमाओं को ऑटो नवीकरण मोड के तहत रखा जाएगा, जब तक कि ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। परिपक्वता की तारीख पर, इस तरह की सावधि जमा को संबंधित सावधि जमा की मूल अवधि के लिए ब्याज की ऐसी दर पर स्वतः नवीनीकृत किया जाएगा जो उस तारीख को स्वतः नवीनीकृत होने वाली राशि पर लागू होगी। अपवादों में टैक्स सेवित, फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती जमा, संपार्श्विक के

रूप में पेशकश के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा, या कोई अन्य नियामक जमा जहां ऑटो नवीनीकरण की अनुमति नहीं है, शामिल हैं।

2. यदि नवीकरण के लिए अनुरोध परिपक्वता की तारीख के बाद प्राप्त होता है तो ऐसी अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण परिपक्वता की तारीख से देय तारीख पर लागू ब्याज दर पर किया जाएगा, बशर्ते ऐसा अनुरोध परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो गया हो। परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीकृत अतिदेय जमाराशियों के संबंध में, अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

(ट) जमाराशियों के विरुद्ध अग्रिम :

बैंक आवश्यक सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन पर जमाकर्ता/बैंकों द्वारा विधिवत रूप से अदा की गई सावधि जमाराशियों के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए जमाकर्ता/ओं/के अनुरोध पर विचार कर सकता है। अग्रिम केवल बैंक में रखी गई जमाराशियों पर ही दिए जाएंगे।

L. (a) मृतक खाते में मीयादी जमा पर देय ब्याज

1. जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से पहले जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में और परिपक्वता की तारीख के बाद जमा राशि का दावा किया जाता है, बैंक परिपक्वता की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक, बैंक परिपक्वता की तारीख को प्राप्त लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, उस अवधि के लिए जिसके लिए परिपक्वता की तारीख से परे बैंक के पास जमा राशि जमा रही, इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार।

2. तथापि, जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, बैंक परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक बचत जमा दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

3. मृतक व्यक्ति/एकल स्वामित्व संस्था के नाम से चालू खाते में पड़ी शेष राशि के संबंध में, जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख को बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज दर पर दावेदार को चुकौती की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

4. मृतक दावा मामलों में निपटाने के लिए मीयादी जमाराशियों के परिपक्वतापूर्व आहरण के मामले में बैंक दंडात्मक ब्याज प्रभारित नहीं करता है।

5. एनआरई जमाराशियों के मामले में, जब दावेदार निवासी हों, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपया जमाराशि माना जाएगा और ब्याज का भुगतान अनुवर्ती अवधि के लिए उसी परिपक्वता की घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर किया जाएगा।

L. (b) मृतक जमा खाते में देय राशि का निपटान

1. सभी धारकों की मृत्यु की स्थिति में, यदि जमाकर्ता ने बैंक में नामांकन पंजीकृत किया है, तो बैंक द्वारा नामिती की पहचान आदि के बारे में बैंक द्वारा संतुष्ट होने के बाद मृतक जमाकर्ता के खाते में बकाया राशि नामिती के खाते में अंतरित/भुगतान कर दी जाएगी।

2. संयुक्त जमा खाते में, जब संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों और जीवित जमाकर्ताओं (ओं) को संयुक्त रूप से भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, यदि संयुक्त खाताधारकों ने खाते में शेष राशि के निपटान के लिए अधिदेश दिया था जैसे कि या तो या उत्तरजीवी, पूर्व/उत्तरार्द्ध या उत्तरजीवी, उत्तरजीवी या उत्तरजीवी में से कोई भी; आदि, मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी कागजात के उत्पादन में देरी से बचने के लिए शासनादेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

3. यदि मृत जमाकर्ता के एनआरई मीयादी जमा खाते के दावेदार निवासी हैं तो परिपक्वता पर जमा राशि को घरेलू रुपया मीयादी जमा माना जाएगा और ब्याज का भुगतान बाद की अवधि के लिए समान परिपक्वता वाली घरेलू मीयादी जमा पर लागू दर पर किया जाएगा। एफसीएनआर (बी) खातों के लिए, यदि दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता आय परिपक्वता की तारीख को भारतीय रुपये में परिवर्तित की जाएगी और बाद की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान समान परिपक्वता की घरेलू मीयादी जमा पर लागू दर पर किया जाएगा।

4. नामांकन की अनुपस्थिति में और जब दावेदारों के बीच कोई विवाद नहीं होता है, तो बैंक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त आवेदन और क्षतिपूर्ति के खिलाफ मृत व्यक्ति के खाते में बकाया राशि का भुगतान बैंक के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित सीमा तक कानूनी दस्तावेजों पर जोर दिए बिना करेगा।

ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी के कारण आम जमाकर्ताओं को कठिनाई न हो।

5. मीयादी जमा खाता धारक/धारकों की मृत्यु की स्थिति में परिपक्वता तक जारी रह सकती है, जब तक कि दावेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा परिपक्वता से पहले दावा नहीं किया जाता है।

6. मृत एफसीएनआर (बी)/आरएफसी जमाकर्ता की जमाराशि पर देय ब्याज।

बैंक मृतक एफसीएनआर (बी)/आरएफसी व्यक्तिगत जमाकर्ता या दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम पर विद्यमान मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करेगा जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई है, निम्नानुसार है:

I. यदि जमा की परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान संविदागत दर पर किया जाएगा।

II. यदि जमाराशि का दावा परिपक्वता तिथि से पहले किया जाता है तो ब्याज का भुगतान संविदागत दर पर नहीं बल्कि उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जिसके लिए जमाराशि बैंक के पास रही और पूर्व भुगतान के लिए दंड प्रभारित किए बिना।

III. यदि जमाकर्ता की मृत्यु जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से पहले हो जाती है, लेकिन जमाराशि का दावा परिपक्वता की तारीख के बाद किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान परिपक्वता की तारीख तक संविदागत दर पर किया जाएगा और परिपक्वता की तारीख को लागू दर पर ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जिसके लिए जमाराशि परिपक्वता की तारीख के बाद भी बैंक के पास रही।

IV. जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता योजना के अंतर्गत धारित बचत जमाराशियों के संबंध में परिपक्वता की तारीख को लागू ब्याज दर का भुगतान परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक किया जाएगा।

V. यदि दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता आय परिपक्वता की तारीख को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी और ब्याज का भुगतान बाद की अवधि के लिए समान परिपक्वता की घरेलू मीयादी जमा पर लागू दर पर किया जाएगा।

M. ग्राहक जानकारी

ग्राहक से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग बैंक, उनकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों द्वारा सेवाओं और उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यदि बैंक ऐसी जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, तो यह खाताधारक की सहमति से सख्ती से होना चाहिए।

N. ग्राहक के खातों की गोपनीयता

बैंक ग्राहक से व्यक्ति या निहित सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति या पार्टी को ग्राहक के खाते के विवरण/विवरण का खुलासा नहीं करेगा। हालांकि, कुछ अपवाद हैं, जैसे कानून की बाध्यता के तहत जानकारी का प्रकटीकरण, जहां खुलासा करना जनता का कर्तव्य है और जहां बैंक के हित का खुलासा करना आवश्यक है।

O. जमाराशियों के लिए बीमा कवर

1. सभी बैंक जमाएं कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन भारतीय जमा और भारतीय जमा जमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रस्तावित बीमा योजना के तहत कवर की जाती हैं। चालू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा।
2. बैंक बीमा लाभों से जुड़े जमा उत्पादों की पेशकश करने का विकल्प चुन सकता है। बैंक बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक को विकल्प देगा और यदि जमाकर्ता बीमा कवर का विकल्प चुनता है तो बीमा लागत को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा।

P. भुगतान रोकने की सुविधा

बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जारी चेकों के संबंध में उनसे भुगतान रोकने के अनुदेश स्वीकार करेगा। शुल्क, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, वसूल किया जाएगा।

Q. सुरक्षित जमा लॉकर

यह सुविधा सभी बैंक शाखाओं के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है और जहां भी सुविधा की पेशकश की जाती है, सुरक्षित जमा तिजोरी का आवंटन सेवा से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों की उपलब्धता और अनुपालन के अधीन होगा। सुरक्षित जमा लॉकर किसी व्यक्ति (निवासी या एनआरआई)/एकमात्र मालिक (नाबालिग नहीं होने के कारण) द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति(यों), एचयूएफ, फर्मों, सीमित कंपनियों आदि के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जा सकता है। नामांकन सुविधा एकल या संयुक्त रूप से लॉकर रखने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) (निवासी या एनआरआई)/एकमात्र मालिक के लिए उपलब्ध है। संयुक्त लॉकर धारक जमा खातों की तर्ज पर धारकों में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में लॉकर तक पहुंच के लिए अधिदेश दे सकते हैं। लॉकरों की सामग्री के

निपटान के लिए नामांकन या अधिदेश के अभाव में, आम व्यक्तियों को कठिनाई से बचाने के लिए, बैंक लॉकर की सामग्री जमा खातों पर लागू तर्ज पर क्षतिपूर्ति के खिलाफ कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी करेगा।

R. शिकायतों और शिकायतों का निवारण

बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत/शिकायत रखने वाले जमाकर्ताओं को ग्राहक शिकायत/शिकायतों के निपटान के लिए बैंक द्वारा नामित प्राधिकरण/प्राधिकरण से संपर्क करने का अधिकार है। शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक ढांचे का विवरण शाखा परिसर और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शाखा अधिकारी शिकायत दर्ज करने के संस्करण जुलाई 2024 20 की प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। यदि जमाकर्ता को शिकायत की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैंक से उत्तर नहीं मिलता है या वह बैंक से प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग ओम्बुस्मन से संपर्क करने का अधिकार है। बैंक की शिकायत निवारण नीति शाखाओं और वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों (डीएपी) के लिए सुविधाएं

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा कि वरिष्ठ नागरिकों, अलग-अलग विकलांग और अनपढ़ व्यक्तियों जैसे हमारे विशेष ग्राहकों के लिए हमारे साथ काम करना आसान और सुविधाजनक हो।

1. हमारी शाखाएं वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों और डीएपी के लिए काउंटर नामित करेंगी। काउंटर पर उपस्थित कर्मचारी ग्राहक की सहायता करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को विधिवत सेवा दी गई है।
2. हमारी शाखाएं वरिष्ठ नागरिकों/डीएपी के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा का लाभ उठाने वाले नियमित ग्राहकों के लिए लागू सामान्य तरीके से अनुरोध के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती हैं। जहां आरबीएल शाखा में अनुरोध प्राप्त होता है जहां डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम अनुरोध को समायोजित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

T. नीति संशोधन

नीति की समीक्षा हर 3 साल में या नियामक परिवर्तन होने पर की जाएगी। नीति में किसी संशोधन के मामले में, उसे उचित अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। पॉलिसी तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी और तदनुसार नवीनीकृत की जाएगी।